

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग
क्रमांक:प0 12(04)चिस्वा/2/2014पार्ट/आईडी-650

जयपुर,दिनांक: 26-4-18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

विषय:- इन सर्विस कोटे से पीजी करने वाले चिकित्सको को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपकी अभिशंषा के अनुसार सेवारत कोटे से विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पीजी अध्ययनरत निम्न चिकित्सको को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर

क्र.स.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययन विभाग	अध्ययन अवकाश अवधि
1.	डॉ जय प्रकाश दरवर	रेडियोडायग्नोसिस	27.05.17 से 26.05.19
2.	डॉ विजय कच्छावा	टीबी एण्ड चैस्ट	26.05.17 से 25.05.20
3.	डॉ सविता कुमारी लोयल	स्त्री एवं प्रसूति रोग	27.05.17 से 26.05.20
4.	डॉ वक्ता राम	सर्जरी	27.05.17 से 26.05.20
5.	डॉ महेन्द्र सिंह	मेडिसिन	27.05.17 से 26.05.20
6.	डॉ जय लाल माली	स्त्री एवं प्रसूति रोग	07.06.17 से 06.06.19
7.	डॉ प्रियंका बधेला	स्त्री एवं प्रसूति रोग	27.05.17 से 26.05.19
8.	डॉ राहुल देव	रेडियोडायग्नोसिस	27.05.17 से 26.05.20
9.	डॉ निरमा चाहर	रेडियोडायग्नोसिस	27.05.17 से 26.05.19

महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर

क्र.स.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययन विभाग	अध्ययन अवकाश अवधि
1.	डॉ अंकित गोयल	जनरल सर्जरी	03.06.17 से 02.06.20

मेडिकल कॉलेज, उदयपुर

क्र.स.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययन विभाग	अध्ययन अवकाश अवधि
1.	डॉ दिलीप सौगात	चर्म रोग विभाग	27.05.17 से 26.05.20
2.	डॉ संजीव सिंह चौधरी	जनरल सर्जरी	27.05.17 से 26.05.20
3.	डॉ अभिषेक शर्मा	जनरल सर्जरी	26.05.17 से 25.05.20

मेडिकल कॉलेज, अजमेर

क्र.स.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययन विभाग	अध्ययन अवकाश अवधि
1.	डॉ अश्विनी कुमार	मेडिसिन विभाग	27.05.17 से 26.05.20
2.	डॉ अविनाश	नेत्र रोग विभाग	27.05.17 से 26.05.20

यह अध्ययन अवकाश उन्ही चिकित्सको हेतु मान्य होगा जिन्होंने पूर्व में अध्ययन अवकाश का लाभ नहीं लिया हो। अग्रिम कार्यवाही से पूर्व निदेशालय/सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लें।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज।
2. अति निदेशक(राजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर को प्रेषित कर लेख है उपरोक्त चिकित्सको से नियमानुसार राज्य सेवा का बन्ध पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
3. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/राजपत्रित/पीजी/2018/ 584 दिनांक 04 / 05 / 18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/उदयपुर।
5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. कार्यालय अधीक्षक एटी सैल मुख्यालय।
8. प्रभारी, सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
9. सम्बन्धित डीए को चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।